FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. रूपचन्द जांगिड़ दत्तक पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र स्व0 चतरा, जाति खाती निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. शांन्ति देवी पत्नि स्व0 श्री कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र स्व0 चतरा, जाति खाती निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा – 212 राज0 काश्तकारी अधि0 नंबर ..17.. / 2020

ऑन लाईन नंबर 2020 / 00017

वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह वकील अप्रार्थीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13-1-20	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते आदेश हेतु दिनांक 17-1-20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
17-1-20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के नहीं उप० एवं [illegible] न्यायिक कार्यों में व्यस्त होने से आदेश तैयार नहीं करा सके। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 21/01/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व अहकाम ... हुक्म की त... मे जारी हु...
28/01/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया। सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी एक पक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के दत्तक पिता कन्हैयालाल उर्फ काना एवं अप्रार्थी सं0 1 के पति कन्हैयालाल उर्फ काना के अधिकार, मिलकीयत की प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2(अ) में वर्णित भूमि ख0नं0 1087/125 रकबा 2.6212 हैक्टर, ख0नं0 125 रकबा 0.3398 हैक्टर भूमि, पैरा सं0 2(ब) में वर्णित भूमि ख0नं0 1144/74 रकबा 0.0243 हैक्टर, ख0नं0 74 रकबा 5.7115 हैक्टर एवं ख0नं0 80 रकबा 1.6342 हैक्टर भूमि, पैरा सं0 2(स) में वर्णित भूमि ख0नं0 79 रकबा 0.8899 हैक्टर तथा पैरा सं0 2(द) में वर्णित भूमि ख0नं0 1146/88 रकबा 0.1618 हैक्टर, ख0नं0 1252/199 रकबा 0.0728 हैक्टर, ख0नं0 174 रकबा 0.1942 हैक्टर, ख0नं0 177 रकबा 0.2993 हैक्टर, ख0नं0 19 रकबा 0.4045 हैक्टर, ख0नं0 200 रकबा 0.3074 हैक्टर, ख0नं0 201 रकबा 0.2184 हैक्टर, ख0नं0 25 रकबा 3.5111 हैक्टर एवं ख0नं0 88 रकबा 2.8639 हैक्टर भूमि जो कि ग्राम सान्दोलिया में स्थित है तथा कन्हैयालाल उर्फ काना के देहावसान पश्चात् प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 में उनके हिस्से का बहिस्सा बराबर-बराबर में अधिकार न्यस्त किया गया। अप्रार्थी सं0 1 का उपरोक्त भूमि पर भौतिक आधिपत्य नहीं है तथा अप्रार्थी सं0 1 बिना नींव-सींव से विभाजन करवाये अवैध, अनाधिकृत रूप से उपरोक्त पुश्तैनी अधिकारी की मिलकीयत की सम्पत्ति को अजनबी क्रेता को औने पौने दामों में विक्रय करने में उद्दत हो रहे है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के अधीन अप्रार्थी सं0 1 को उपरोक्त अविभाजित सम्पत्ति को परिवार से भिन्न अन्य को अन्तरण किये जाने का विधिक अधिकार नहीं है तथा प्रार्थी को उपरोक्त सम्पत्ति खरीद किये जाने जाने का प्राथमिक अधिकार है। यदि अप्रार्थी सं0 1 को अजनबी क्रेता को विभाजन किये बिना अन्तरण किये जाने बाबत् रोका जाता है एवं अजनबी क्रेता को बिना विभाजन करवाये उपरोक्त सम्पत्ति में खरीद किये जाने से रोका जाता है तो एवं बिना विभाजन कराये उपरोक्त भूमि में प्रवेश करने से रोका जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 को कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रार्थी द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 को निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 उपरोक्त संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को अन्तरण नहीं करे तथा वाद गुणानुगुण निस्तारण के विभाजन की डिक्री तक उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 संयुक्त खातेदार है। **Jagdish Lal Vs. Parmeshwar Lal 1997 RBJ 621:1997 RRD 591; Jagdish Singh Vs. Ram Karan 2012 RRD 20:2012(1) RRT 43:2012 RBJ 5:2012 RLW RJ 60,** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्यतः एक अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार **Sardar Vs. Girraj Prasad 1984 RRD 492** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से बाधित नहीं किया जा सकता है।

दस्तावेजों के अवलोकन से हम यह पाते है कि राजस्व रिकार्ड में पक्षकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 सह खातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनो ही बिन्दू अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

देवेन्द्र कुमार
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.02.13 13:11:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: